

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

\*\*\*\*\*

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

दिनांक 5 जून, 2013

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पंजाब सरकार और गृह मंत्रालय की सहमति से केन्द्र सरकार ने सुश्री भावना गर्ग, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पी.बी. : 99) की पंजाब संवर्ग से एजीएमयूटी संवर्ग (चंडीगढ़ खंड) में संयुक्त सचिव (वित्त), चंडीगढ़ प्रशासन के पद पर नियुक्ति हेतु कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, अंतः संवर्ग प्रतिनियुक्ति का अनुमोदन कर दिया है।



(एस. एस. शुक्ला)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : 23092695

सेवा में,

प्रबंधक,


भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद, (हरियाणा)।

संख्या 13017/38/2012-अ.भा.से.-(I)

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून, 2013

1. पंजाब सरकार के मुख्य सचिव को दिनांक 26.03.2012 के पत्र के संदर्भ में।
2. अवर सचिव, (यूटीएस-1), गृह मंत्रालय को दिनांक 19.07.2012 के का.जा.सं. 14020/1/2012-यूटीएस.1 के संदर्भ में।
3. महालेखाकार, पंजाब सरकार, चंडीगढ़।
4. महालेखाकार, चंडीगढ़ सरकार को इस अनुरोध के साथ की अधिकारी का वेतन प्रतिनियुक्ति की अनुमोदित अवधि के बाद आहरित न की जाए।
5. सुश्री भावना गर्ग, भा.प्र.से. (पी.बी. : 99), (पंजाब सरकार, चंडीगढ़ के मुख्य सचिव के माध्यम से)। प्रतिनियुक्ति की अनुमोदित अवधि के बाद कार्यभार न सौंपने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और उनकी सेवा में व्यवधान पड़ेगा।
6. निदेशक (एसएम) को दिनांक 24.05.2013 के आईडी नोट सं. 37/15/2013-ई.ओ.(एसएम-1) के संदर्भ में।
7. गार्ड फाइल



(एस. एस. शुक्ला)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : 23092695

आंतरिक वितरण-

अ.भा.से.(II)/अ.भा.से.(III)/एसओ(सीएम)/ईओ(एसएम-1)/एनआईसी(अधिसूचना को सरकारी वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)।